3721
संख्याः /1/2005-03(8)/18/05

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 3, अक्टूबर, 2005

विषयः– ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उरेडा द्वारा निर्मित की जाने वाली लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन/रख–रखाव का कार्य ऊर्जा समितियों के माध्यम से जन सहभागिता आधार पर कराए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 209/उरेडा/209/2004, दिनांक 13.05.2005, पत्र संख्या 747/उरेडा/15–122/2005, दिनांक 15.07.2005 एवं पत्र संख्या 946/उरेडा/15–122/2005, दिनांक 04.08.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उरेडा द्वारा निर्मित की जाने वाली संलग्नक–। में वर्णित लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण एवं संचालन/रख–रखाव का कार्य ऊर्जा समितियों के माध्यम से निम्न शर्तो के अधीन जन सहभागिता के आधार पर कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– इन सभी परियोजनाओं का निर्माण/संचालन व रख–रखाव स्थानीय स्तर पर गठित पंजीकृत ऊर्जा समितियों द्वारा किया जायेगा।

2– परियोजना के निर्माण पर आने वाली लागत का 10% अंश स्थानीय उपभोक्ताओं/ऊर्जा समितियों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा।

3– परियोजना का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व उरेडा, वैकल्पिक जल केन्द्र, आई.आई.टी. रुड़की एवं सम्बन्धित ऊर्जा समिति के मध्य उरेडा द्वारा प्रस्तावित किए गये संलग्न त्रिपक्षीय अनुबन्ध का सम्पादन किया जायेगा।

4– इन परियोजनाओं के लिए 90% धनराशि केन्द्रांश से व्यय किया जायेगा, केन्द्रांश से पूर्ण लागत का 90% अनुदान न मिल पाने अथवा परिवर्तित होने की दशा में इसमें कमी की सीमा तक ही धनराशि का वहन राज्यांश से किया जायेगा।

5– ऊर्जा समितियों को प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास एवं तकनीकी मार्गदर्शन वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र एवं उरेडा द्वारा किया जायेगा।

6– प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि स्थानीय स्तर पर ऊर्जा समिति द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।

7– इन परियोजनाओं का समय से निर्माण, कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति के सम्बन्ध में उरेडा के सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

.....2

8– परियोजना निर्माण में कय की जाने वाली सामग्री एवं संरचनाओं आदि कार्य के लिए कोटेशन प्रपत्र/टैण्डर प्रपत्र उरेडा द्वारा तैयार कर समिति को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा डिजाइन व विशिष्टियों के विवरण भी उरेडा द्वारा समिति को उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त कम में समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

9– ऊर्जा समितियों द्वारा किए गये व्यय को स्थानीय स्तर पर चार्टेड एकाउन्टेट से सेवायें प्राप्त कर प्रत्येक तीन माह में सत्यापित कराया जायेगा।

10– परियोजनाओं की लागत/आगणन की स्वीकृति वित्तीय नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।

11– सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए प्राप्त केन्द्रांश/राज्यांश का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्दर शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12– यदि त्रिपक्षीय अनुबन्ध को किसी पक्ष द्वारा तोड़ा जाता है और योजना की लागत बढ़ती है तो उसको उस पक्ष द्वारा अपने संसाधनों से ही वहन किया जायेगा। उसके लिए शासन द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी।

13– योजना के कियान्वयन में भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

उक्त नौ परियोजनाओं के अतिरिक्त ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उरेडा द्वारा जन सहभागिता आधार पर भविष्य में निर्मित की जाने वाली परियोजनाओं को भी उक्तानुसार निर्मित कराया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1766/XXVII(3)/2005, दिनांक 29 सितम्बर, 2005 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नकः– 1– त्रिपक्षीय अनुबन्ध का आलेख्य।
2– परियोजनाओं की सूची।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

**संख्याः 3731 /I/2005-03(8)/18/05, तदिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री को मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
6– सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
7– अध्यक्ष, ए.एच.ई.सी., आई.आई.टी. रुड़की।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
9– वित्त विभाग–3
10– प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या 373) /1/2005-03(8)/18/05 दिनांक 3-10-05 सितम्बर, 2005 का संलग्नक

जन सहभागिता के आधार पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं का विद्युतीकरण।

| क0सं0 | जनपद | परियोजना का नाम | क्षमता (कि0वा0) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बागेश्वर | कुवांरी | 50 |
| 2 | बागेश्वर | जगथाना | 100 |
| 3 | चमोली | गमसाली–बाम्पा | 50 |
| 4 | टिहरी | रगस्या | 100 |
| 5 | टिहरी | जाखणा | 100 |
| 6 | चमोली | सरमा | 100 |
| 7 | चमोली | सुतोल | 50 |
| 8 | बागेश्वर | कर्मी–3 | 50 |
| 9 | उत्तरकाशी | सिंयागाड | 200 |